<u>न्यायालयः— द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद,जिला भिण्ड</u> (समक्षः पी०सी०आर्य)

सत्र प्रकरण<u>कमांकः 148 / 2014</u> संस्थित दिनांक-05 / 06 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला—भिण्ड (म०प्र०) —————<u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

- 1— राघवेन्द्र पुत्र चिकदार उर्फ वीर नारायण उर्फ दीनदयाल जाति भदौरिया उम्र 25 वर्ष निवासी गिगंरखी थाना मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0
- 2— अमित पुत्र सिरनाम सिंह भदौरिया उम्र 19 वर्ष निवासी गिगंरखी थाना मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0
- 3— दीवानसिंह पुत्र पोहप उर्फ कोकसिंह कुशवाह उम्र 28 वर्ष निवासी गिगंरखी थाना मेहगांव जिला भिण्ड म०प्र०

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक आरोपीगण द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद कुमारी शैलजा गुप्ता के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क0 297 / 14 इ०फौ० से उदभूत यह सत्र प्रकरण कमांक 148 / 14

—::— आ देश —::— अंतर्गत आदेश 232 द० प्र०सं०

(आज दिनांक 29 अक्टूबर 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1— समझौता उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा 329/34 भा0द0सं0 के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 27/1/14 को दिन के करीब 10 बजे देशी शराब का ठेका स्थित गोहद रोड गोहद चौराहा पर आपस में मिलकर फरियादी अतीश से अवैध रूपयों की मांग करने को विवश करने और इंकारी पर स्वेच्छया घोर उपहित पहुंचाने का सामान्य आशय निर्मित किया, और उसके अग्रशरण में अतीश से शराब पीने के लिये रूपयों की अवैध मांग कर उसे उदापित किया तथा उक्त कृत्य के लिये उसके दाहिने हाथ की अलना नामक हड्डी में चोट पहुंचाकर घोर उपहित कारित की।
- 2— प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि, आरोपीगण और आहत अतीश के मध्य समझौता होकर मधुर संबंध स्थापित हो गये है, तथा विचारण के दौरान शेष आरोप धारा 325/34, 323/34 भा0द0सं0 से दोषमुक्त किया जा चुका है ।

3— अभियोजन के अनुसार बताई गई घटना का सार संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि दिनांक 27—1—14 को सुबह करीब 10 बजे देशी शराब के ठेके स्थित गोहद रोड गोहद चौराहा पर फरियादी अतीश काम करता था, और उक्त दिनांक को बुलेरों गाडी से शराब की पेटी लेकर गोहद चौराहा से गोहद रोड की तरफ दुकान नंबर—2 पर सप्लाई के लिये गया था, जहां सुनील सैल्समेन को उसने शराब की पेटिया दी थी, तभी ग्राम गिगंरखी के राघवेन्द्र भदौरिया, अमित भदौरिया, दीवान कुशवाह व उनका एक अज्ञात साक्षी हाथों में डंडा लेकर आये और उससे मुफ्त में शराब की मांग की उसने ठेके का नौकर होने से असमर्थता व्यक्त की तथा पैसे देने पर ही शराब देने की बात कही, इसी बात पर उक्त लोगों ने उसकी मारपीट की जिससे उसे दोनों हाथों और उंगली में चोट आई और शरीर में अन्य अंगों पर भी चोटें आई, और सैल्समेन सुनील को भी मारा तब सुरेश त्यागी व गजराजिसंह सिकरवार ने आकर बीच बचाव किया।

4— उक्त घटना की अतीश द्वारा थाना गोहद चौराहा पर आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट की जिस पर से प्र0पी0—4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की जाकर घटना को अनुसंधान में लिया और आहत का मेडीकल परीक्षण चिकित्सक की सलाह पर एक्सरे परीक्षण कराया जिसमें दांये हाथ ककी अलना नामक हड्डी में अस्थिमंग पाया गया । विवेचना उपरांत अभियोगपत्र धारा 323, 325, 327, 329 सहपठित धारा 34 भा0द0सं0 के तहत सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में पेश किया जहां से उपार्पित होकर उक्त सत्र प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश सत्रखण्ड भिण्ड के अंतरण आदेश के तहत विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिस पर से कार्यवाही की गई । आरोपो की रचना की गई तत्पश्चात विचारण किया ।

चूंकि प्रकरण में धारा 232 द0प्र0सं0 1973 के तहत दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित किया जा रहा है, इसलिये अभियोजन के पूरे मामलें का वर्णन करना आवश्यक नहीं है और महत्वपूर्ण तथ्य उपर उल्लेखित किये जा चुके हैं । धारा 329 सहपठित धारा 34 भा0द0सं0 के अपराध के लिये जिन आवश्यक अव्यवयों की साक्ष्य द्वारा पूर्ति होना आवश्यक है, उसका प्रकरण में सर्वथा अभाव है, क्योंकि घटना के आहत अतीश अ०सा०–3 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी है, बल्कि यह बताया है कि जब वह शराब की दुकान पर बैठा था, तब आरोपीगण ने आकर उससे एक बोतल शराब खरीदने के लिये कहा और स्टॉक में शराब नहीं थी जिस पर उसने असमर्थता व्यक्त कर दी थी, इसी बात पर मुंहवाद हुआ था फिर वह आरोपीगण के डर की वजह से भागा था तो पत्थरों पर गिरने से चोट आ गई थी । आरोपीगण ने कोई मारपीट नहीं की थी ना ही उसने पुलिस को प्र0पी0–4 की रिपोर्ट में और प्र0पी0–6 के कथन में फी में शराब मांगने और मना करने पर मारपीट करने की बात बताई । इस तरह से आहत अतीश के द्वारा लैस मात्र भी समर्थन नहीं किया गया है । कथानक मुताबिक दूसरे महत्वपूर्ण साक्षी सुनील अ०सा०-4 भी बताया गया है उसने भी पक्षविरोंधी होते हुँये कोई समर्थन नहीं किया, और कथानक मुताबिक बीच बचाव करने वाले गजराजसिंह और सुरेश त्यागी को अभियोजन की और से पेश ही नहीं किया गया है, इसलिये डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0—1 के द्वारा आहत अतीश को मेडीकल परीक्षण उपरांत दी गई प्र0पी0—1 अतीश की एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0—3 में उक्त चिकित्सक के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित मान लिये जाने पर भी दोषसिद्धि संभव नहीं है, क्योंकि स्वंय आहत के द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया है । ऐसे में प्र0पी0—4 की एफ0आई0आर0 को एच0सी0एम0 गोपसिंह अ0सा0—2 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, और विवेचक ए 0एस0आई0 ए0एस0 तोमर अ0सा0—5 के अभिसाक्ष्य से भी कोई तथ्य प्रमाणित नहीं होता है, अर्थात अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जो आरोपीगण के विरूद्ध शेष विरचित आरोप धारा 329/34 भा0द0सं0 या अन्य कोई अपराध प्रमाणित करती हो । ऐसी स्थिति में आरोपीगण को शेष विरचित आरोपों से दोषमुक्ति पात्र हो । अतः धारा 329/34 भा0द0सं0 के आरोपों से उन्हें दोषमुक्त किया जाता है ।

06— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है ।

07- निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये ।

दिनांकः 29 अक्टूबर 2014

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया खुले न्यायालय में पारित किया गया।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड